TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED THE 29 MARCH, 2000

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
****

New Delhi, dated the 29 March, 2000

NOTIFICATION

S.O. (E).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance, number S.O. 64(E) dated the 30th January, 1995, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified (a) Maintenance and running of cardiology Department; (b) Repairs/renewals in the hospital as a whole; (c) Phase 2nd & 3rd of ENT Department and its maintenance, by Sri Sathya Sai Medical Trust, Prasanthi Nilayam, District – Anantapur, Andhra Pradesh-515134, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1995-96, which was extended vide S.O. 268(E) dated 27th March, 1997 for a period of three more years beginning with assessment year 1998-99.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of - (a) Maintenance and running of cardiology Department; (b) Repairs/renewals in the hospital as a whole; (c) Phase 2nd & 3rd of ENT Department and its maintenance, which is being carried out by Sri Sathya Sai Medical Trust, Prasanthi Nilayam, District – Anantapur, Andhra Pradesh-515134, at the estimated cost of rupees fifteen crore twenty-seven lakhs, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with assessment year 2001-2002.

(POMELA B. PRASAD)
Director(National Committee)

No. 11306

F.No. NC-5/2000

भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड(ii) में दिनांक 29 मार्च, 2000 को प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 29 मार्च, 2000

अधिसूचना

सां0 आ0 (अ) जबकि आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के अन्तर्गत भारत सरकार वित्त मंत्रालय की दिनांक 30 जनवरी, 1995 को जारी की गई अधिसूचना सं0 सां0 आ064(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने श्री सत्य सांई मेडिकल ट्रस्ट, प्रसन्थी निलयम, जिला अनन्तपुर, आन्ध्रप्रदेश-515134 द्वारा (क) हृदय रोग विभाग का रख-रखाव और उसको चलाना (ख) हस्पताल की पूर्ण रूप से मरम्मत/नवीनीकरण (ग) कान, नाक, व गला विभाग के द्वितीय व तृतीय चरण को पूरा करना और उसके रख-रखाव की योजना को वर्ष 1995-96 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट किया था जो कि दिनांक 27 मार्च, 1997 की अधि0 सं0 सां0 आ0(268(अ) के तहत कर निर्धारण वर्ष 1998-99 से आरम्भ होने वाले वर्ष से और तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाई गई थी ।

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के छः वर्ष से अधिक चलने की संभावना है,

और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान होने जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम 5 के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे और तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की एक और सिफारिश की है,

अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सत्य सांई मेडिकल ट्रस्ट प्रसन्थी निलयम-जिला अनन्तपुर, आन्ध्रपदेश-515134 द्वारा चलाई जा रही(क) हृदय रोग विभाग का रख-रखाव और उसको चलाना(ख) हस्पताल की पूर्णरूप से मरम्मत नवीनीकरण(ग) कान, नाक व गला विभाग के द्वितीय व तृतीय चरण को पूरा करना और उसके रख-रखाव की योजना की स्कीम अथवा परियोजना को मात्र पन्द्रह करोड़ सत्ताईस लाख रूपये की अनुमानित लागत पर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की और अवधि के लिए अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

(पोमिला बी0 प्रसाद)
निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

सं0 11306
फा0 सं0 एन0 सी0 5/2000